दिनांक: 24/12/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड 01 शातिर गौकश अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंच, 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस 315 बोर, कुल 110 किलो ग्राम गौमांस व चमड़ी, गौकशी के उपकरण व घटना में प्रयुक्त 01 ऑल्टो कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध एवं गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। आज दिनांक 23/24.12.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सनौली से कुंडाकला जाने वाले मार्ग पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग की जा रही थी कि तभी ग्राम सनौली की तरफ से बिना नम्बर प्लेट की ऑल्टो कार आती दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का ईशारा किया गया तो कार चालक ने तुरंत कार को रोक दिया और जैसे ही पुलिस टीम कार के नजदीक पहुँची तो अचानक कार चालक तेज गति से कार चलाता हुआ कुंडाकला की तरफ जाने लगा जिस पर पुलिस टीम द्वारा कार का पीछा किया गया तो कुछ दुरी पर कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे माइलस्टोन से टकरा कर रुक गयी। तभी बदमाशों ने कार से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और ग्राम छन्नो के जंगल की तरफ भागने लगे इस पर पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश का एक अन्य साथी घने कोहरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु कांम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **नईम पुत्र कामिल निवासी मौहल्ला गुलाम औलीया, कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** के रुप मे हुई है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाह, 01 बिना नम्बर की ऑल्टो कार, गौकशी के उपकरण व कुल 110 किलोग्राम गौमांश एवं चमड़ी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद सहारनपुर में गौकशी, अवैध अस्लाह रखने जैसे गंभीर अपराधों के 11 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर **थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 553/24 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/5क/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम** के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं व मेरा साथी दोनो मिलकर गौकशी करके मांस को मुस्लिम बस्तियों में बेच देते है। दिनांक 23.12.2024 को शाम के समय जब अंधेरा होना शुरू हो गया था तो मैने व मेरे साथी ने खेत में एक गौवंश (बैल) को ले जाकर काट दिया था और रात होनें पर हम दोनो उसका मांस गाड़ी मे डालकर कस्बा गंगोह में बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस काम में जो पैसा मिलता है उससे हम लोग अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नईम पुत्र कामिल निवासी मौ0 गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त नईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-497/19 धारा 147/148/149/160/307/323/336/353/504/506 IPC चालानी थाना गंगोह
2. मु0अ0सं0-570/17 धारा 138(B), 138(B) विद्युत अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0-127/17 धारा 414/420 चालानी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-254/18 धारा 174ए भा.द.वि चालानी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0-18/2023 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 307 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-544/12 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0-42/14 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 420 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0-85/14 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0-111/14 धारा 3/5 गौहत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 420/467/468 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0-372/08 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 553/24 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/5क/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम

बरामदगी विवरण –

- 110 किलो गौमांस
- 01 तंमचा 315 बोर नाजायज
- 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 बिना नम्बर की आल्टो कार रंग सफेद (UP 11 BB 4118)
- गौकशी के उपकरण (01 अदद रस्सी, दो कुल्हाडी, 05 अदद छुरी, 02 खाल उतारने की लोहे की रौड़)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0कां0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. है0कां0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
10. कां0 1663 सचिन खोखर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
11. कां0 688 प्रवीण तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:24.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित वारण्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.12.2024 को 02 नफर वारण्टी अरूण पुत्र अमन निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जिला सहारनपुर 2.सोलंकी पुत्र जसवीर निवासी ग्राम अम्बहेटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 675/2019, मु0अ0सं0 112/2019 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं04 सहारनपुर को उसके मसकन से समय करीब 05.10 व समय करीब 05.25 बजे गिरफ्तार किया गया जिसको आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अरूण पुत्र अमन निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2. सोलंकी पुत्र जसवीर निवासी ग्राम अम्बहेटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अरूण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 112/2019 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 191/2021 धारा 323/366 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 222/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4- मु0अ0स0254/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर

अभियुक्त सोलंकी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 112/2019 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 222/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री रणपाल सिह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- कां0 547 अंकुश तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- कां0 2077 सतीश शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:24.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त आरिफ पुत्र रिजवान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 2710/19 धारा 323/325/504/506 भादवि में ग्राम रायपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी के नाम व पता –

आरिफ पुत्र रिजवान नि0 रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 24.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 16 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त राजेश पुत्र रामा निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को 16 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का सहित कासमपुर पुलिया से शेरपुर पेलो की तरफ नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभि0 राजेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 206/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0** पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभि0 के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 3326/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 में एनबीडब्लू भी जारी किया गया था।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मै हरियाणा से देशी शराब खरीदकर रास्ते पर ट्रक चालको आदि को महगे दामो में बेचकर कुछ धन कमा लेता हूँ साहब माफ कर दो आगे से ऐसा नही करुंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजेश पुत्र रामा निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

16 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 277/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 18/2001 धारा 323,324,504,506 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 777 अजय कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 24 बोतल अंग्रेजी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इनकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **सुमित पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी वर्कशाप रेलवे कालोनी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा** को ग्राम सलेमपुर के बाहर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 24 बोतल अग्रेजी शराब हरि0 मार्का मय एक गाडी हुन्डई ग्रान्ड आई 10 रजि न0 HR-02 AD-8978 बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 386/2024 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं हरियाणा राज्य की सस्ती शराब को चोरी छिपे खरीद कर मजदूरो को काफी मँहगे दामो मे बेचकर अच्छा पैसा कमाता हूँ तथा शराब पीने का आदि हूँ। शराब बेचकर मेरा नसे का खर्च भी चल जाता है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त

सुमित पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी वर्कशाप रेलवे कालोनी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण

- 24 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का
- एक गाडी हुन्डई ग्रान्ड आई 10 रजि न0 HR-02 AD-8978

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 रामबीर सिहँ थाना सरसावा सहारनपुर।
3. उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना सरसावा सहारनपुर।
4. का0 96 विक्रान्त थाना सरसावा सहारनपुर।

दिनांक 24.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ साइबर कैफे/जन सेवा केन्द्र में लूट की घटना कारित करने वाला 01 शातिर लूटेरा अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही पर अवैध असलाह/कारतूस, 01 बिना नम्बर की मोटरसाइकिल, लूटे गये 22,300/- रूपये नकद, 01 छोटा की-पैड फोन व 07 सिम कार्ड बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है । इसी क्रम में आज दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में अम्बेहटा सीएचसी के सामने गंगोह रोड पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग की जा रही थी, कि गंगोह की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये पुलिस द्वारा रूकने का ईशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और कब्रिस्तान के बराबर से अम्बेहटा बाईपास की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के दो अन्य साथी मौके भागने में सफल रहे, फरार बदमाशो की तलाश हेतु कांम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । घायल बदमाश की पहचान **निखिल पुत्र नरेश नि0 ग्राम खैरशाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा /02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त **थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 441/24 धारा 309(4) बीएनएस** में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै मजदूरी करता हूँ। पैसो के लालच में मैंने अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 21.12.2024 को रात्रि में 08.00 बजे कस्बा अम्बेहटापीर में स्थित साईवर कैफे/जनसेवा केन्द्र में लूट की थी। घटना कारित करने के बाद हम लोग भाग गये थे तथा घटना में हमने करीब सवा लाख रूपये व तीन मोबाईल फोन लूट लिये थे । रूपये हमने आपस मे बाँट लिये थे । मेरे हिस्से में 25000 रूपये व यह मोबाईल फोन आया था। मेरे हिस्से में आये रूपयो में से दो ढाई हजार रूपये मुझसे खर्च हो गये, बाकी यह जो रूपये मुझसे बरामद हुए है ये वही लूटे हुए रूपये है। हम लोगो को जानकारी हो गयी थी कि पुलिस हम लोगो की तलाश कर रही है इसलिए मैं व मेरे 02 साथी जो मौके भाग गये है उनके साथ आज मै कही भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

निखिल पुत्र नरेश निवासी ग्राम खैरशाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 22,300/- रूपये नकद
- 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा/01खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 की-पैड फोन
- 07 सिम कार्ड (अलग अलग कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0का0 458 धर्मपाल सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 320 तरूण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गौकशी के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियत्रण एवं वाछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 24.12.2024 को थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/23 धारा 3/5/5क/8 सीएस एक्ट के वांछित **अभियुक्त परवेज पुत्र जमील निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर बड़कला फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैने तथा मेरे अन्य साथियो ने साथ मिलकर दिनांक 6/7.11.24 की रात्रि को ग्राम मुजफ्फरी के जंगल मे बेहट बार्डर पर गौकशी की थी । जिसमें मैं तथा मेरा एक अन्य साथी वहीं से गौकशी का मांस लेकर चले गये थे । अन्य साथियों के हिस्से में आये मांस को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था और उनकी एक मोटर साईकिल भी पकड़ी गयी थी । आज मैं भी पुलिस के पकड़े जाने के डर से छिपने के लिये कही जा रहा था कि मैं पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

परवेज पुत्र जमील निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 811 दीपक चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 गौकशी के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाक 23.12.2024 को वादी बिट्टू पुत्र पालेराम निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अकदाम पुत्र अशरफ उर्फ ढप्पू नि0 ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के ईंख के खेत में गौकशी करने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 484/24 धारा 351(3) बीएनएस व 3/5/8(1) गोवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम अकदाम व अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 24.12.2024 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये **अभियुक्त मौमीन पुत्र अशरफ उर्फ ढप्पू नि0 ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मल्हीपुर फटाक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने और मेरे भाई अकदाम व तहेरे भाई ने मिलकर एक बछड़े को ग्राम अहमदपुर के जंगल में बिट्टू के खेत में काट दिया था तो तभी वहां पर कुछ लोगो के आने की आवाज आई तो हम बछड़े का गला काट कर भाग गये थे तभी से जंगल में छुपते फिर रहे हैं मेरा तहेरा भाई और अकदाम भी सहारनपुर चले गये हैं गायें काटने के औजार उन्ही दोनो के पास है। हम तीनो पुलिस के पकड़े जाने के डर से अलग-अलग घूम रहे है। मै भी छुपता छुपाता हुआ सहारनपुर ही जा रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौमीन पुत्र अशरफ उर्फ ढप्पू नि0 ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सुभाष चन्द थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. का0 1617 योगेश कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

दिनांक: 24.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 26 मुकदमो मे बरामद की गई कुल 510 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 01 लाख 53 हजार रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी व निर्माण की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अभियान **ऑपरेशन क्लीन** के अन्तर्गत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनाकं 17.12.2024 के अनुपालन में नायब तहसीलदार श्री पंकज नरवाल तहसील सदर सहारनपुर की अध्यक्षता में तथा श्री मुनीश चन्द क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय ,श्री निशा गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर, श्री शैलेन्द्र सिह आबकारी निरीक्षक एवं श्री चन्द्रसैन सैनी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.12.2024 को **वर्ष 2022 व 2023 व 2024 मे आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 26 अभियोगो मे बरामद कुल 510 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 01 लाख 58 हजार** को थाना कोतवाली देहात के पीछे खाली जमीन मे जे0सी0बी से गहरा गढ्डा खुदवाकर समस्त माल को उसमे दबवाकर नष्ट किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

- देशी शराब करीब 510 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीमः-

1. श्री मुनीश चन्द क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जिला सहारनपुर
2. श्री पंकज नरवाल नायब तहसीलदार तहसील सदर जिला सहारनपुर
3. श्री निशा गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी सदर न्यायालय सहारनपुर
4. श्री चन्द्रसैन सैनी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
5. श्री शैलेन्द्र सिह आबकारी निरीक्षक सैक्टर 1 जिला सहारनपुर
6. श्री सुनील कुमार शर्मा व0उ0नि0 थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
7. हैड मोहर्रिर 865 अमित पाल थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.12.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा **कर्ण सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम डांडी थामना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 242/2003 धारा 25 आयुध अधि0 बनाम कर्ण सिंह चालानी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर मय स्थायी गिरफ्तारी वारन्ट मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम डांडी थाना देवबन्द से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कर्ण सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम डांडी थामना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- है0का0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3- का0 2449 मोहित कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांक - 24.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा आबकारी अधि0 से सम्बन्धित अवैध शराब के 19 मुकदमों मे बरामद की गयी करीब 122 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 80,000/- रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी व निर्माण की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अभियान ऑपरेशन क्लीन के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद सहानपुर के आदेश दिनांक 11.12.24 के श्री पंकज नरवाल नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर की अध्यक्षता में तथा श्री मुनीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, श्रीमती निशा गुप्ता, सहायक अभियोजन अधिकारी, श्री शैलेन्द्र सिहं आबकारी निरीक्षक सैक्टर- I जिला सहारनपुर एवं श्री सतेन्द्र नागर, प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.12.2024 को वर्ष 2023 व 2024 के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 19 अभियोगों में बरामद कुल 122 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 80000 रुपये को चौकी राकेश कैमिकल थाना जनकपुरी के पास खाली पडी जमीन में जे0सी0बी0 से गहरा गढ्डा खुदवाकर समस्त माल को उसमें दबवाकर नष्ट किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण:-

- देशी शराब करीब 92 लीटर
- अंग्रेजी शराब करीब 30 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीमः-

1. श्री पंकज नरवाल नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर
2. श्री मुनीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जिला सहारनपुर
3. श्रीमती निशा गुप्ता, सहायक अभियोजन अधिकारी जिला सहारनपुर
4. श्री शैलेन्द्र सिहं आबकारी निरीक्षक सैक्टर- I जिला सहारनपुर
5. श्री सतेन्द्र नागर, प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
6. हैड मोहर्रिर 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

दिनांकः 24.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 64 मुकदमो मे बरामद की गई कुल 664 लीटर अवैध कच्ची व देशी शराब (कीमत करीब 01 लाख 39 हजार 440 रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी व निर्माण की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अभियान **ऑपरेशन क्लीन** के अन्तर्गत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनाकं 20.12.2024 के अनुपालन में श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नकुड़ ,श्री मनोज चौरसिया माल अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर, श्री अक्षय कुमार आबकारी निरीक्षक रामपुर मनि0 एवं श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनि0 पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.12.2024 को **वर्ष2018,2021,2022 ,2023 व 2024 मे आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 64 अभियोगो मे बरामद कुल 664 लीटर अवैध कच्ची व देशी शराब (कीमत करीब 01 लाख 39 हजार 440 रुपये)** को थाना रामपुर मनि0 के परिसर मे खाली जमीन मे जे0सी0बी से गहरा गढ्डा खुदवाकर समस्त माल को उसमे दबवाकर व **भट्टी उपकरणो को टुड़वाकर नष्ट** किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

- कच्ची व देशी शराब करीब 664 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीमः-

1. श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. श्री मनोज चौरसिया माल अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर
3. श्री अक्षय कुमार आबकारी निरीक्षक रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
4. श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
5. है0मो0 543 अनूप सिह थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर